न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 31 / 2015

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1हेमाराम 2लेखराम 3गोपीराम पुत्रान स्व. डूंगरराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम नया गांव तहसील व जिला नागौर।		1 तहसीलदार, नागौर। 2 हीराराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी नया गांव तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री कन्हैया लाल सुथार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.06.2019

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम नया गांव के नामान्तरकरण सं. 375 निर्णय दिनांक 16.03.2011 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.06.2015 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 12.06.2015 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपील की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी हीराराम के द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल सुथार के आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो दिनांक 19.08.15 को स्वीकार किया जाकर श्री हीराराम को रेस्पोडेन्ट सं. 2 पक्षकार बनाया गया। जिनके द्वारा दिनांक 16.05.19 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना बताते हुए पक्षकार हटाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम नया गांव के नामान्तरकरण सं. 375 दिनांक 16.03.11 की फोटोप्रति, आवेदन पत्र दिनांक 24.01.11 की फोटोप्रति, लिखित समर्पण पत्र दिनांक 24.01.11 की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर का पत्र दिनांक 31.1.11 की फोटोप्रति, समर्पण स्वीकृति पत्र दिनांक 31.1.11 की फोटोप्रति, नक्शा किस्तवार की फोटोप्रति तथा ग्राम नया गांव की जमाबंदी संवत 2066–69 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हुई तरमीम एवं गलत रूप से दर्ज हुए नये खसरा एवं उसके रकबा के बारे में अपीलार्थीगण को पहले कोई जानकारी नही थी। दिनांक 27.05.15 को सडक को लेकर मौके पर कुछ लोगो द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने पर व सडक को गलत जगह बनायी जाने बतायी जाने पर अपीलार्थीगण ने समर्पण के संबंध में भरे गये नामान्तरकरण की जानकारी की तो दिनांक 28.5.15 को अपीलार्थीगण ने जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। तब उसे जानकारी हुई कि उक्त समर्पित रास्ता के पूर्वी तरफ रकबा 12 बिस्वा के स्थान पर 1 बीघा 12 बिस्वा बता दिया। जो गलत है। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। अधिवक्ता द्वारा दूसरी वांछित नकले मांगी गई जो नकले दिनांक 10.6.15 को प्राप्त हुई। इस प्रकार से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.5.15 से प्रथमतः उक्त अपील अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिससे मामले को गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय किया जाना न्याय संगत है। जिसका प्रतिपक्ष द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मामले मे नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील के अन्तर्गत जो नामान्तरकरण भरा जाकर तरमीम हुआ है एवं शेष रकबा को

अपर कलक्टर, नागौर

लेकर जो नये खसरा नं. पडे है। वे पूर्णतया विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

{2}(II)–समर्पित किया गया रास्ता उक्त खेत की उत्तरी पूर्वी कोने में पूर्वी माठ से 20 फीट अंदर की तरफ वाला भाग था। जिसके बारे में नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया था। ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों को भी तरमीम करते वक्त उसी अनुसार तरमीम करनी चाहिये थी। जो नही करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। इस आधार पर आदेश जैर म्यूटेशन निरस्तनीय है।

{2}(III)–उक्त प्रकरण में मौके पर जो सडक बनी है। वह सडक भी उसी समर्पित रास्ते पर बनी है। जो आज दिन भी मौके पर कायम है। उक्त सडक से अगर पूर्वी तरफ जो रकबा शेष है। उसकी गणना करे तो यह रकबा 12 बिस्वा ही आता है। ऐसी स्थिति मे पटवार हल्का द्वारा तरमीम करते समय इस तरफ एक बीघा 12 बिस्वा रकबा कैसे व किन आधारों पर छोड दिया, बडी ही विचित्र एवं हास्यास्पद स्थिति है। क्योकि समर्पण आवेदन पत्र, नक्शा एवं उक्त रास्ता पर बनी सडक के आधार पर शेष रकबा 12 बिस्वा ही बनता है। परंतु पटवारी द्वारा रेकर्ड एवं मौके की स्थिति से विपरीत जाकर जो तरमीम की है एवं नया खसरा 1 बीघा 12 बिस्वा का बनाया है। वह सर्वथा गलत है।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विद्धान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील तहसीलदार के आदेश क्रमांक 208 दिनांक 31.01.11 की अनुपालना में माफिक आदेश ही भरा गया है। जिसमें को त्रुटि नही होने से आदेश जैर अपील यथावत रखा जाना चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में हेमाराम वगैरा ने अपनी खातेदारी भूमि मौजा नया गांव के खसरा नं. 464 रकबा 39.05 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि उत्तरी पूर्वी कोने में पूर्वी माठ से 20 फुट अंदर की तरफ वाला भाग समर्पित किया गया है। जिसका समर्पण स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.01.11 को समर्पित भूमि का नक्शे में लाल स्याही से बताये स्थल के अनुसार रेकर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये है। जिस संबंध में समर्पित भूमि के पूर्वी भाग में नये खसरा नं. 734/464 रकबा 1.12 बीघा गलत रूप से अंकित करना बताया गया है। जबकि वास्तविक जगह 12 बिस्वा की होना बताया गया है। समर्पित भूमि के पूर्वी भाग में माफिक नक्शे के 1.12 बीघा अथवा केवल 12 बिस्वा ही भूमि बनती हो। ऐसा कोई दस्तावेजी पैमाईश रिपोर्ट आदि कोई सबूत प्रस्तुत नही किये गये है। वक्त समर्पण पत्र प्रस्तुत नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया भू भाग की पूर्वी भूमि मात्र 12 बिस्वा ही बनती हो, ऐसा साबित नही है। समर्पण आदेश के अनुसार ही नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर